आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
12.10.23	**आदेश** उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा दाखिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष के अनुसार मौजा- मनिहारी, थाना- बिरनी में स्थित ~~से~~ खाता- 22, हाल खाता- 22/41, प्लाट- 862, रकबा- 3.16 एकड़ मध्ये 92 डी. उनके पूर्वज बच्चन चमार एवं भगान चमार वगै० को भूतपूर्व जमींदार से सादा हुकुमनामा के माध्यम से हासिल है। उक्त भूमि की जमाबन्दी अंचल कार्यालय में कायम है तथा लगान रसीद निर्गत होता आ रहा है। द्वितीय पक्ष तकरारी जमीन पर जबरन दखल-कब्जा करना चाह रहे हैं। प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में ऑन लाईन पंजी- II की छायाप्रति, लगान रसीद सं० 123105 की छाया- प्रति एवं सादा हुकुमनामा की छाया प्रति दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित कारण पृच्छा एवं	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज दाखिल किया गया है। विपक्षी पक्ष के अनुसार पुश्तागत भूमि भूदान पर्चा के माध्यम से दिनांक-26.12.1988 को हासिल है तथा जाँचोपरान्त राजस्व पदाधिकारी द्वारा लगान निर्धारण कर रसीद निर्गत किया गया है। विपक्षी पक्ष के द्वारा अनुमण्डल कार्यालय में एक आवेदन दिया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी बिरनी से प्रतिवेदन की माँग की गई थी। अंचल अधिकारी, बिरनी ने अपने पत्रांक-615, दिनांक-01.08.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि खाता-22, प्लाट-862, रकबा-49.90 एकड़ सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरुआ खास किस्म जमीन परती कदीम है। आवेदक बलदेव साव को उक्त भूमि में से 2.25 ए. भूमि भूदान पर्चा के माध्यम से हासिल है तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 तक लगान रसीद निर्गत है। अंचल अमीन बिरनी ने अंचल अधिकारी, बिरनी	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	के आदेशानुसार बिहार भूदान यज्ञ कमिटि से प्राप्त भूमि को चिन्हित कर दिया गया था तथा जमाबन्दी कर दी गई थी। अतः नालिसी भूमि का द्वितीय पक्ष का वैधानिक दखल-कब्जा है। द्वितीय पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में ऑन लाईन ~~खतियान~~ पंजी-II की छायाप्रति, भूदान यज्ञ कमिटि से निर्गत पर्चा की छायाप्रति, फार्म-10 की छाया-प्रति, अंचल अधिकारी, बिरौल का पत्रांक-615, की छाया प्रति, अंचल अमीन द्वारा चिन्हित भूमि का प्रतिवेदन की छायाप्रति, सरकारी लगान रसीद सं०-546701, 169747 5972564, 164982, 0990006331, 0258167832, 0521911565 की छाया प्रति दाखिल किया गया है। उभय पक्षों के द्वारा दाखिल कारण-पृच्छा एवं दस्तावेजों से स्पष्ट है कि खाता-22, प्लाट-49.90 एकड़ है जिसमें से उभय पक्ष को भूमि हासिल है। द्वितीय पक्ष	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
4	की भूमि को अंचल अमीन द्वारा चिन्हित कर पत्थर गाड़ दिया गया था जो द्वितीय पक्ष के दखल-कब्जा को दर्शाता है। साथ ही द्वितीय पक्ष का लगातार लगान रसीद निर्गत होता आ रहा है जो उसके दखल-कब्जा का अतिरिक्त प्रमाण है। अतः निषेधाज्ञा को प्रथम पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष तथा द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त किया जाता है। उक्त आदेश द.प्र.स. की धारा-144(4) के अंतर्गत परिचालित होगा। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। 12/x/23 SDM	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.10.18 16:11:39 +05:30
Location: 192.168.1.10